



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

No. 72]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

New Delhi, the 11th March, 2014

सं. फा. 8/85/2012-अकादमी.— किसी भाषा को प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए तारीख 12 अक्टूबर, 2004, 29 अक्टूबर, 2004 और 25 नवम्बर, 2005 के भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या IV-14014/7/2004-NI-II द्वारा निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में, भारत सरकार एतद्वारा ओडिया को 'प्राचीन भाषा' के रूप में घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना, मद्रास में न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2008 की 18810 (आर गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य) के परिणाम के अध्वधीन है।

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

**No. F. 8/85/2012-Akadamies.—**In terms of the criteria laid down vide Government of India, Ministry of Home Affairs Notifications No. IV-14014/7/2004-NI-II dated 12th October, 2004, 29th October, 2004 and 25th November, 2005, for classifying a language as a Classical one, the Government of India hereby declares Odia as a 'Classical Language'.

2. This Notification is subject to the outcome of Writ Petition No. 18810 of 2008 (R.Gandhi Vs UOI & Ors) in High Court of Judicature at Madras.

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.